UPPB010034082026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1406/2026

जुल्फिकार उर्फ अज्जू पुत्र मो0 जफर, निवासी मोहल्ला खेडा, कस्बा व थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार
2– जिला विधिक प्राधिकरण, पीलीभीत।
3– संरक्षक/पीड़िता

दिनांक–12.08.2026

1. अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ अज्जू पुत्र मो0 जफर, निवासी मोहल्ला खेडा, कस्बा व थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0 181/2026, अं0 धारा 351(3) बी.एन.एस. व धारा 5एम./6 पाक्सो एक्ट थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत के अपराध में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त की ओर से दिनांक 21.07.2026 को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया गया था।

2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उसे उक्त वाद में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के एक दिन बाद काफी सोच समझकर झूठी दर्ज करायी गयी है। पीडता के धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में भारी विरोधाभास है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है। वह पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। वह दिनांक 17.06.2026 से जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध है।

3. वादी/पीडित को नोटिस भेजी गयी जो बजात खास तामील हुई। सुनवाई के समय वादी/पीडित के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित, उनके द्वारा भी जमानत का विरोध किया गया।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र/पीडित के साथ अप्राकृतिक मैथुन करके लैंगिक हमला किया गया है। अतः अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

5. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत मामले में घटना दिनांक 15.06.2026 की 14.00 बजे की है जबकि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.06.2026 को समय 7.54 बजे पंजीकृत की गयी है जिसके अनुसार वादी मुकदमा कदीम खॉ का 09 वर्षीय पुत्र दोपहर 2.00 बजे मेडिकल स्टोर पर आरहा था, जुल्फिकार उर्फ अज्जू बहला फुसला कर अपने निर्माणाधीन मकान में उसके साथ लैंगिक सम्बन्ध बनाये व बेटे से कहा कि तूने अगर माता पिता से जाकर कुछ बताया तो जान से मार दूॅगा।

Digitally signed by TRIBHUWAN NATH PASWAN
Date: 2026.08.13 19:29:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7. पीडित द्वारा धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त उसे नये मकान पर ले गया और उसके साथ गलत काम किया, वह चिल्लाया व रोया तो वह यह कहकर भागा कि तूने अपने घरवालों को बताया तो तुझे जान से मार दूँगा।

8. धारा 183 भा.ना.सु.सं. के बयान में पीडिता द्वारा यह बयान दिया गया है कि वह केमिस्ट की दुकान पर जारहा था तो जुल्फिकार मिला और कहा मै तुम्हें अपना नया घर दिखाने चलता हूँ, तुम्हें खाने की चीज भी दूँगा। वह घर के सेकेण्ड फ्लोर पर ले गया और मेरा कच्छा उतारकर मेरी गुदा द्वार पर अपना लिंग डाल दिया जिस पर मै चीख पडा व रोने लगा। वह छोडकर भाग गया, भागते हुए उसने कहा कि अगर तुने घर पर बताया तो जान से मार देंगा। फिर मै अपने पापा की दुकान पर गया और सारी बात अपने पापा को बतायी।

9. शैक्षिक अभिलेख के अनुसार पीडित की जन्मतिथि 22.03.2017 रही है, प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 15.06.2026 की रही है अर्थात् घटना की तिथि में पीडित **09 वर्ष, 02 माह, 24 दिन** की रही है। अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ अज्जू लगभग 28 वर्षीय युवक रहा है। पीडित का वाह्य परीक्षण कर आन्तरिक परीक्षण हेतु विशेषज्ञ जॉच हेतु भेजा गया। उक्त के अनुसार पीडित के आन्तरिक एवं वाह्य शरीर पर तथा गुदा क्षेत्र पर किसी प्रकार की कोई भी चोट चिकित्सीय परीक्षण में नहीं पायी गयी है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 17.06.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः गुण दोष पर विचार किये बिना न्यायालय की राय में मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ अज्जू को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ अज्जू को 1,50,000/—रु0 (एक लाख पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्नलिखित शर्तो के संबंध में अन्डरटेकिंग प्रस्तुत किये जाने पर जमानत पर छोड़ा जाता है।

1—अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

2—अभियुक्त आरोप तथा धारा 351 बी.एन.एस. के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3—अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेगा।

4—अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा, तो इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

5—अभियुक्त जमानत पर मुक्त होने के पश्चात वह इस प्रकार के किसी आपराधिक कृत्य व अन्य किसी आपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

दिनांकः 12.08.2026

(त्रिभुवन नाथ पासवान)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत।